भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ·4· W 323288

भी रूप मे प्रयोग करने व विकसित करने व अन्तरित करने का पूरा मालिकाना हक हासिल है चूंकि द्वितीयपक्ष पेशे से बिल्डर है और बिल्डिंग निर्माण का कारोबार करते है अतः द्वितीयपक्ष अपने आशयित कारोबार की दृष्टि से प्रथमपक्ष से उनकी उक्त समस्त भूमि को विकसित करने के लिये संपर्क किया कि उक्त भूमि पर एक आवासीय बहुमंजिला काम्पलेक्स निर्मित कराना चाहते है। जिसमें दोनो पक्षो का लाभ निहित है प्रथमपक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत है अतः उभयपक्ष आपसी सहमति के अन्तर्गत उक्त भूमि की इकाई सीमायें निम्नलिखित को विकसित करने हेतु निम्न-लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधो के अधीन सहमत होते है -

1. यह कि प्रस्तावित काम्पलेक्स के निर्माण हेतु प्रथमपक्ष अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से नियमानुसार अपने हस्ताक्षरों से अनुमति प्राप्त करेंगे तथा इस में जो भी खर्चा होगा उसको द्वितीयपक्ष स्वयं वहन करेंगे तथा अनुमति प्राप्त करने में पहल भी द्वितीयपक्ष करेंगे इस संबंध में जिन-जिन कागजातों पर प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरों की जरूरत होगी प्रथमपक्ष निःसंकोच करेंगे।